R 2299-II/2002

आ.क्र. 4138
दिनांक 23-9-02

::श्री::

: न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य-प्रदेश) :

1:-कनकमल पिता शोभागमल उम्र-52 वर्ष,
2:-राजेन्द्र कुमार पिता शोभागमल, उम्र-50 वर्ष,
3:-सुरेश कुमार पिताशोभागमल, उम्र-42 वर्ष,
4:-महेश कुमार पिता शोभागमल, उम्र-41 वर्ष,
5:-सुरजबाई बेवाशोभागमल, उम्र-74वर्ष,
सभी जाति जैन-महाजन, धन्दा कृषिएवंव्यापार,
निवासीगण टाण्डा, तह0 कुक्षी जि,. धार (म.प्र.)

------ प्रार्थीगण

कार्यालय कलेक्टर जिला धार
शाखा---- RM
18 SEP 2002

क्रमांक ...
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 23-9-02 को प्राप्त
23/9/02
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1:- श्यामाबाई पति जसवंतसिंह, उम्र-50 वर्ष,
2:- मनोहरलाल पिता गणपतलाल, उम्र-40वर्ष,
3:- जगदीश प्रसाद पिता देवीप्रसाद उम्र-35 वर्ष,
क्रमांक-1 जाति भील, क्रमांक-2 जाति सोनी,
क्रमांक-3 जाति जायसवाल, तथा क्रमांक-1
धन्दा खेति व मजदूरी, क्रमांक-2 ज्वेलरीव्यवसाय,
क्रमांक-3 व्यापार निवासीगण सभी टाण्डा तह0
कुक्षी जिला धार (म.प्र.) ------ विपक्षीगण

: निगरानी अर्ज धारा (50) भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत :

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में अत्यन्त नम्रता से अर्जहैकि ग्राम टाण्डा तह0 कुक्षी जिलाधार को भूमि सर्वे नम्बर 81/5 रकबा 1.933 हेक्टर होकरजो हम प्रार्थीगण के भू- स्वामी स्वत्व से दर्ज है उक्त भूमि जो पूर्वजों के समय की होने से हमें शोभागमल के जीतेजी जन्मजात हक था कब्जा है, वापरहै यह स्थिति आज भी है कार्यवाही दिनांक को भी थी उसके पूव भी रही

निरन्तर पेज---2पर

कुक्षी ने कोई राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/88-89/74 में कोई दिनांक 17-1-2000
में कोई निष्कर्ष दिये भी हो तो वे व्यर्थ है विचाराधिकार रहित है, रेकार्ड
के विपरीत है, मनमाने है, यह सब कार्यवाहीयाँ विचाराधिकार रहित होकर
राजस्व प्रकरण क्रमांक 3/99-2000 में आदेश दिनांक 9-6-2000 में अनुविभागीय
अधिकारी महोदय ने दीया था तो उसकी विधीवत् एक अपील अपर कलेक्टर
महोदय, धार के यहाँ की जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/99-2000 पर कायम
होकर आदेश दिनांक 26-12-2001 को हमारी अपील मंजुर हुई और समस्त
कार्यवाही मूलन्यायालय की व नायब तहसीलदार कुक्षी की एवम अनुविभागीय
अधिकारी को वे सारे आब्जरवेशन कार्यवाही ड्राप करने के बावजुद एवकली
लिख दिये थे पेटे में लिख दिये थे उन्हें भी अपास्त किया और हमारी अपील
मंजुर की जो आज्ञा वैध थी उसे कायम न रखते हुवे न्यायालय अपर आयुक्त
महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर ने अपने राजस्व अपील 269/2000-01 मे
आदेश दिनांक 29-7-2002 को यथाकथित श्यामाबाई को पुरावा कहकर
प्रकरण को श्यामाबाई कोसाक्ष का अवसर दिया जावे इस निर्देश के साथ
कायदे के विरूद्ध परिवर्तित कर दिया, रिमाण्ड कर दिया उक्त आज्ञासे
असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक
अन्दर अवधि कानुन सम्मत निचे अनुसार पेश है :-

18.11.2015	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	No. 9778 [illegible] [illegible] 18/11/2015